

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

| क्र.सं. | राज्य /संघ शासित प्रदेश | अक्टूबर 2021 के अंत तक | | | |
|---------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) | गरंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | निलामी खजाना बिल (एटीबी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 9001 | 886 | -- | - |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1892 | 3 | -- | - |
| 3 | आसम | 4205 | 59 | -- | - |
| 4 | बिहार | 6055 | -- | -- | - |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 5082 | -- | 1 | 4550 |
| 6 | गोवा | 665 | 336 | -- | - |
| 7 | गुजरात | 5293 | 519 | -- | - |
| 8 | हरियाणा | 838 | 1311 | -- | - |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | -- | -- | -- | - |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 488 | -- | -- | - |
| 11 | झारखण्ड | 6273 | -- | -- | 23000 |
| 12 | कर्नाटक | 2327 | -- | -- | - |
| 13 | केरल | -- | 996 | -- | - |
| 14 | मध्य प्रदेश | 48121 | 685 | -- | 24000 |
| 15 | महाराष्ट्र | 168 | 109 | -- | - |
| 16 | मणिपुर | 785 | 45 | 9 | - |
| 17 | मेघालय | 381 | 49 | -- | - |
| 18 | मिज़ोरम | 1789 | 36 | -- | - |
| 19 | नगालैंड | 12154 | 1581 | 92 | 23863 |
| 20 | उड़ीसा | 333 | -- | -- | 975 |
| 21 | पुदुचेरी | 1700 | -- | 8 | - |
| 22 | पंजाब | -- | -- | 129 | 4200 |
| 23 | राजस्थान | 7203 | -- | 40 | 14023 |
| 24 | तमिलनाडु | 6147 | 1344 | -- | - |
| 25 | तेलंगाना | 403 | 10 | -- | 900 |
| 26 | त्रिपुरा | 1006 | -- | 180 | - |
| 27 | उत्तराखण्ड | 3541 | 138 | -- | - |
| 28 | उत्तरप्रदेश | 9654 | 632 | 214 | - |
| 29 | पश्चिम बंगाल | -- | -- | -- | - |
| | कुल | 135505 | 8739 | 672 | 95511 |

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।